न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/78	01–10–2019	10–11–2020

1. बाबू लाल पुत्र सुमेर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम खन्डोडा तहसील बावल जिला रेवाडी हाल निवासी मकान नम्बर 134 गली नम्बर 05 हंस नगर रेवाडी तहसील व जिला रेवाडी प्रान्त हरियाणा

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार नीमराना जिला अलवर।
2. विमला पुत्री स्व0 सुमेर सिंह पत्नि महावीर प्रसाद जाति अहीर हाल निवासी ग्राम माजरा पो0 ऑफिस कुण्ड सब तहसील मनेठी जिला रेवाडी प्रान्त हरियाणा
3. सुमन पुत्री स्वा0 सुमेर सिंह पत्नि कृष्ण सिंह जाति अहीर निवासी शाहदत नगर तहसील कोसली जिला रेवाडी प्रान्त हरियाणा
4. राज सिंह पुत्र सुमेर सिंह ग्राम व पोस्ट खण्डोडा तहसील बावत जिला रेवाडी प्रान्त हरियाणा
5. विक्रम सिंह पुत्र सुमेर सिंह ग्राम व पोस्ट खण्डोडा तहसील बावत जिला रेवाडी प्रान्त रेवाडी

असल रेस्पोडेन्ट्स

6. सत्य नारायण पुत्र सुमेर सिंह ग्राम व पोस्ट खण्डोडा तहसील बावत जिला रेवाडी प्रान्त रेवाडी

तर0रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार नीमराना के दिनांक 24–05–2017 बाबत इन्तकाल सं0 1948 वाके ग्राम गुगलकोटा जिला अलवर।

उपस्थितः–

01. श्री संजीव जैन –वकील अपीलान्ट
02. श्री रामेश्वर दयाल कुमावत –वकील रेस्पो0 संख्या 4 व 6

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 24.05.17 जिसके जिसके द्वारा इन्तकाल सं0 1948 वाके ग्राम गुगलकोटा तहसील नीमराना जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुऐ कहा कि :–

तहत न्यायालय के आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 14–07–2017 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल लेकर दिनांक 24–05–2017 से 13–07–2017 तक का समय व्यतीत हुआ है जो माफ किये जाने योग्य है। अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून

मियाद के साथ पेश की है। अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाकर स्वीकार फरमाई जावे।

विवादित आराजी खसरा नम्बर 648 रकबा 0.62 है0 एवं 961 रकबा 0.94 है0 ग्राम गुगनकोटा तहसील बहरोड हाल नीमराना में अपीलान्ट व रैस्पा0 संख्या 2 लगा0 के पिता की स्वअर्जित खातेदारी की खरीदशुदा आराजी थी। अपीलान्ट व रैस्पा0 के पिता सुमेर सिंह अपने जीवन काल में आराजी व अन्य सभी चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 11.4.12 को अपनी इच्छा अनुसार वसीयतनामा का पंजियन सब रजिस्ट्रार बावल हरियाणा से दिनांक 11.4.12 को करवाया, सुमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात् जिस वसीयत अपीलान्ट व रैस्पा0 संख्या 4 व 6 है। सुमेर सिंह का देहान्त दिनांक 18.11.2015 को हो गया, ओर अपीलान्ट व रैस्पा0 संख्या 4 ला0 6 का स्वामित्व वसीयत अनुसार निहित हो चुका है। अपीलान्ट द्वारा अपनी पिता की इच्छा अनुसार उनकी वसीयत के आधार आराजी भुतनाजा का इंतकाल तस्दीक कराने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ समस्त दस्तावेजात सहित तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया परन्तु तहत अदालत में पत्रावली नहीं मिलाने पर अपीलान्ट द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र मय राजस्व दस्तावेजात के पेश की गई। प्रार्थना पत्र वर्तमान में तहत अदालत में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख 9.8.17 नियत की गई। तहत अदालत द्वारा विधि विरूद्व तरीके से इंतकाल दिनांक 24.5.17 को वसीयत के आधार पर ना कर सुमेर सिंह के सभी विधिक वारिसान के नाम दर्ज व स्वीकार कर दिया गया। जबकि तहत अदालत को वसीयत के आधार पर तस्दीक किया जाना चाहिऐं था। वसीयत के आधार पर इंतकाल तस्दीक करने बाबत सुमेर सिंह के विधिक वारिसान के मध्य कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं था। इसके बावजूद भी इंतकाल विरासत के आधार पर तस्दीक कर दिया गया। यह है कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक इंतकाल दर्ज करते समय वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर तस्दीक होना चाहिऐं किन्तु तहत अदालत ने इंतकाल की कार्यवाही किया जाना न्यायिक प्रकिया के विपरीत है। तहत अदालत ने सुनवाई एवं पक्षकारान को समुचित अवसर प्रदान किया। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय ने नामांतकरण के संबंध में लैण्ड रिकार्ड रूल्स को नजर अन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों व प्रकिया के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है।

विद्वान वकील रेस्पौ0 ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि अपीलान्ट ने अपील गलत तथ्यों के आधार पर पेश की है। अपीलान्ट व रैस्पा0 के पिता है। तहत अदालत द्वारा विवादित इंतकाल जांच करने के पश्चात् ही विरासत के आधार पर दर्ज व स्वीकार किया गया है। तहत अदालत इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनने का कोई औचित्य ही नहीं था। अपीलान्ट ने जानबूझ कर अपील पेश की है जिसके विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नहीं किया। अतः अपील मियाद बाहर व सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया एवं कानून की मंशा देखी गई। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 24-05-2017 के विरूद्ध दिनांक 31.07.17 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 2 माह विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है उक्त सम्पत्ति को पिता की स्वअर्जित खरीद शुदा प्राप्त की गई एवं उक्त जमीन का जरिये बैयनामा वसीयतनामा अपीलान्ट के नाम की गई बताते हुए, इस वसीयत के आधार पर इंतकाल खुलवाने हेतु अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत को आवेदन दिनांक 4.3.2016 को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वसीयतनामा के प्रार्थना पत्र पर निर्णय किये बिना दिनांक 24.5.17 को विरासत का इंतकाल खोल दिया गया। इस प्रकार वसीयत की प्रोसिडिंग लम्बित रहते हुऐं, अन्य इंतकाल खोलना नियमानुसार गलत था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रिमान्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट रिमान्ड की जाती है। तहसीलदार नीमराना का निर्णय दिनांक 24-05-2017 को निरस्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट तहसीलदार नीमराना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि वसीयत के संबंध में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर विधिक प्रक्रिया अनुसार पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10-11-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर
जिला कलक्टर अलवर (राज०), अलवर